

21 ¹²/₂₂

पत्रावली आज पेश हुई। ग्रामी
अभिजातक उपस्थित तहसीलदार से
रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जो
शामिल पत्रावली है। सरकार पेंरोकाट
उपस्थित।

ग्रामी वकील की बतस सुनी गयी।
पत्रावली पर उपलब्ध समस्त
दस्तावेजों एवं तहसीलदार रिपोर्ट
का अवलोकन किया गया। आवंटन
की नक्शा शीट में तरमीम नहीं
है और न ही ऐसा कोई लास्य
पत्रावली पर है जिससे यह सिद्ध
हो कि आवंटन उसी जगह हुआ है
जहाँ ग्रामीणा का कब्जा है। केवल
कब्जे के आधार पर गैर-खातेदारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर मे जारी हुए
<p>दर्ज करना एवं चारागाह भूमि का किसम परिवर्तन करना न्यायचित नहीं है।</p> <p>अतः न्यायचित में जर्ची का पार्श्वना-पत्र खारिज किया जाता है एवं पत्रावली फ़ैमल की जाकर दाखिल दफ़तर की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">W2</p> <p style="text-align: center;">उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा</p>	